न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 26 / 2021

लेखराज जाट पुत्र श्री काशीराम जाट निवासी ग्राम व पोस्ट बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 6–10–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गयी थी:–

1. बनास नदी में संचालित अवैध बजरी खनन गतिविधियों व बजरी पेडा के संबंध में परिवादी लेखराज जाट बन्थली से प्राप्त परिवार के आधार पर दूनी थाना ने तत्कालीन तहसील देवली (वर्तमान में नव निर्मित दूनी तहसील भी) के क्षेत्राधिकार में आने वाले सतवाड़ा, सन्थली, विजयगढ़, बन्थली में स्थित बनास बजरी पेड़ों को अवैध पाया था तथा बजरी पेड़ा मालिकों के विरूद्ध राजस्थान राजस्व भूमि अधिनियम के तहत कृषि भूमियों को वाणिज्यिक प्रयोग में लाए जाकर बजरी पेड़ा बनाकर बजरी का अवैध दोहन किए जाने वाले पेड़ा मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा तहसीलदार देवली से की थी, क्योंकि यह तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का मामला था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूं। अतः दूनी थाना द्वारा भेजे गए इस पत्र के अनुसरण में की गई कार्यवाही, तहसील स्तर पर जारी किए गए आदेश, साइट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, कार्यालय टिप्पणी व राज्य सरकार, टोंक कलेक्टर, दूनी थाना को भेजी गई रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें।

2. उक्त पत्र के संदर्भ में तहसील देवली व दूनी द्वारा की गई कार्यवाही, उच्चाधिकारियों, अधीनस्थों को भेजी गई रिपोर्ट, प्रसारित आदेश–निर्देश तथा इनसे संतुष्टि, असंतुष्टि प्रकट करने या कोई प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ हो या इस संदर्भ में अन्य कोई पत्राचार हुआ हो तो उसकी सत्यापित [illegible] प्रदान करें।

3. उक्त पत्र में उल्लिखित ग्राम सतवाड़ा [illegible] में [illegible] संथली तन में पांच विजयगढ़ तन में एक एवं बन्थली में [illegible] बजरी के अवैध [illegible] (पेड़) निकालें जाना पाया गया था। जिनमें से जितने पेड़ों पर [illegible] जिन–जिन पेड़ा मालिकों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

खिलाफ कर्यवाही की गई, उनकी तािा इस संबंध में कार्यालय टिप्पणी, आदेश–निर्देश, पत्राचार की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें।

4. दूनी थाना द्वारा लिखे गए पत्र में उठाए गए मुद्‌दों यथा एल एंड टी मशीनों से बनास बजरी की खुदाई, जगह जगह बनास नदी में 3 मीटर से अधिक खुदाई के निशान, लिंक रोड व अन्य रास्तों का क्षतिग्रस्त होना, कृषि भूमि का वाणिज्यिक उपयोग में से जिन जिन बिंदुओं पर कार्यवाही की गई उनकी प्रतिलिपि तथा तहसील देवली/दूनी द्वारा किए गए प्रति उत्तर, की गई कार्यवाही व थाना व तहसील के मध्य अवैध खनन व अवैध बजरी पेड़ा व इनके संचालकों के खिलाफ कार्यवाही के सम्बन्ध में हुए समस्त पत्राचार, कर्यालय टिप्पणी, आदेश–निर्देश की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 61 दिनांक 27–9–2021 से जवाब प्रेषित किया कि आवेदक ने आवेदन पत्र भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण अपीलार्थी को सुचना नहीं दी गई। जवाब का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई है। जबकि अपीलान्ट ने आवेदन पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यदि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं भी किया था तब भी न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र की प्रति पत्र कमांक 1128 दिनांक 27–8–2021 को रिपोर्ट/जवाब भिजवाने हेतु तहसीलदार देवली को भिजवाई गई थी। तहसीलदार देवली द्वारा एक माह पश्चात भी आवेदक/अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलान्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलान्ट को वांछित सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निःशुल्क उपलथ्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
टोंक
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:17 IST
Reason: SelfAttested